बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021

मतगणना संबंधी सामान्य अनुदेश

सामान्य अनुदेश

State Election Commission, Bihar.

सत्यमेव जयते

वैधानिक उपबन्ध

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 72 से 86 तक मतों की गणना तथा उसके परिणाम घोषित करने के बारे में प्रावधान है।
- मतगणना प्रक्रिया से सम्बद्ध सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी का उक्त प्रावधान से परिचित होना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की शिकायत/शंका की गुंजाईश न हो।

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भूमिका

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 30 एवं 31 के अन्तर्गत पंचायत निकायों का निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
- मतदान के पश्चात् मतों की गणना निर्वाची पदाधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य है।
- निर्वाची पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सहायता से मतगणना का कार्य सम्पादित कर सकते हैं।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, ताकि मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

सत्यमेव जयते

माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक तथा मतगणना सहायक की भूमिका

- निर्वाची पदाधिकारी मतगणना में सहायता हेतु सरकारी कर्मचारियों को माइक्रो आब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- मतगणना कार्य हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना कार्य में परिपक्व, अनुभवी और कुशल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी को मतगणना स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य है तथा मतों की गणना को पूरी जिम्मेवारी इन्हीं की बनती है।

Contd....

माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक तथा मतगणना सहायक की भूमिका

- ई0वी0एम0 से मतगणना के लिए मतगणना पटल के लिए एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा एक मतगणना सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- मतपत्र से मतगणना के लिए मतगणना पटल के लिए एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा दो मतगणना सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- निष्पक्ष एवं सही मतगणना सम्पन्न कराने की प्रथम जिम्मेवारी मतगणना पर्यवेक्षक की ही होगी।

प्रेक्षक की भूमिका

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतगणना केन्द्र के लिए उप विकास आयुक्त/अपर जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी या उनके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक मतगणना केन्द्र के लिए अलग–अलग प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में दो मतगणना केन्द्रों के लिए एक प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी।
- प्रेक्षक द्वारा मतगणना प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतों की गणना में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने पाए।

Contd....

प्रेक्षक की भूमिका

- जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/ग्राम कचहरी के सरपंच/ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए डाले गये मतों की गणना के उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र–21 में तैयार किए गए निर्वाचन परिणाम की विवरणी पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा उस पर प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित करायेंगे।
- प्रेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र–21 के आधार पर ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
- निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक के बीच निर्वाचन परिणाम के बारे में मतभेद होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का आदेश प्राप्त किया जाएगा, जो अंतिम होगा।

मतगणना स्थल

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रत्येक चरण के निर्वाचन के लिए 'प्रपत्र–05' में प्रकाशित सूचना की कंडिका–13 में अंकित स्थल मतगणना स्थल के रूप में निर्धारित की जाएगी।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रपत्र–5 में अंकित मतगणना के लिए तिथि, समय एवं स्थल के संबंध में पूर्व सूचना अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्त्ता को दे दें।
- अपरिहार्य कारण से पूर्व से निर्दिष्ट स्थल, तिथि एवं समय में परिवर्त्तन आयोग की अनुमति प्राप्त कर ही की जाएगी।
- परिवर्तन की सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को लिखित रूप में दी जाएगी।

सत्यमेव जयते

मतगणना के लिए प्रशिक्षण

- मतगणना में छोटी से छोटी भूल भी मतगणना के अंतिम परिणाम को दूषित कर सकती है, अतः आवश्यक है कि मतगणना कार्य से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दो बार निश्चित रूप से दिलाने की व्यवस्था की जाये।

मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–48 के अन्तर्गत अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता एक मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है।
- आवेदन प्रपत्र–12 में दो प्रतियों में।
- प्रतिस्थानी हेतु भी प्रपत्र–12 में आवेदन–परन्तु लाल रोशनाई से प्रतिस्थानी गणना अभिकर्त्ता लिखना होगा।
- मतगणना अभिकर्त्ता दो प्रति में से एक प्रति अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति मतगणना के लिए निश्चित तारीख को कम से कम एक घंटा पूर्व निर्वाची पदाधिकारी या उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा घोषणा पर उसी समय हस्ताक्षर करेगा।

Contd....

मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

- निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति पत्र अपनी अभिरक्षा में रखते हुए उस व्यक्ति को पहचान पत्र निर्गत करेगा।
- अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय हस्तलिखित घोषणा द्वारा पूर्व नियुक्त मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है।
- यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 या इससे अधिक है तो मतगणना की तिथि से दो दिन पूर्व ही निर्वाची पदाधिकारी पहचान पत्र निर्गत कर सकेंगे।

Contd....

सत्यमेव जयते

मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

- गणना हॉल के अन्दर एक से अधिक टेबुल रहने पर भी किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही गणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जाएगी। परन्तु यदि किसी पद विशेष की मतगणना एक से अधिक हॉल में एक साथ चल रही है तो सभी हॉल के लिए एक–एक गणना अभिकर्त्ता को नियुक्त करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
- एक समय एक टेबुल के पास अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता में से केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
- यदि अभ्यर्थी किसी मंत्री, विधायक, सांसद या राजनैतिक नेता अथवा
- किसी आपराधिक या असामाजिक तत्व को अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता नियुक्त करना चाहता है तो उस पर राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

Contd....

मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–74 मतगणना स्थल पर निम्न व्यक्तियों को प्रवेश का अधिकार :–

  (क) ऐसे व्यक्ति, जिसे मतगणना में सहायता करने लिए नियुक्त किया जाये।

  (ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।

  (ग) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता और मतगणना अभिकर्त्ता।

  (घ) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक

- मतगणना अवधि में मंत्री, विधायक, सांसद मतगणना स्थल पर भ्रमण नहीं कर सकेंगे।
- पत्रकार/फोटोग्राफर मतगणना कक्ष के बाहर से फोटो ले सकेंगे।
- पुलिस अधिकारी, चाहे वर्दी में हो या सादे लिबास में, मतगणना कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मतगणना–योजना

- मतगणना कार्य का प्रारंभ निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट समय पर कर देना चाहिए।
- एक साथ एक विशेष ग्राम पंचायत के अधीन सभी मतदान केन्द्रों के मतों की गणना प्रारंभ की जाएगी तथा उस पंचायत विशेष के मतों की गणना समाप्त होने पर ही दूसरे ग्राम पंचायत का गणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- एक गणना पटल पर एक समय में एक ही मतदान केन्द्र के मतों को गणना की जाएगी।

Contd....

मतगणना–योजना

- मतगणना कक्ष में गणना पटल की संख्या विशेष ग्राम पंचायत के अधीन सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के आधार पर निर्धारित होगा।
- स्थगित मतदान या पुर्नमतदान से संबंधित मतों की गणना भी एक साथ ही की जाएगी बशर्ते कि संबंधित ग्राम पंचायत के मतों की गणना समाप्त होने के पूर्व स्थगित/पुर्नमतदान से संबंधित मतपेटिका गणना स्थल पर पहुँच गई हो।

सत्यमेव जयते

मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएँ

- मतगणना कक्ष के आस–पास भीड़ या जमाव न होने दें।
- मतगणना स्थल के आस–पास शोर–शराबा, नारेबाजी नहीं हो।
- अस्थाई संरचना के मामले में खुले तार से वायरिंग नहीं की जाए।
- अस्थाई संरचना के पास या भीतर किसी भी रूप में आग न जलायी जाये।
- मतगणना केन्द्र के भीतर धूम्रपान निषेध होना चाहिए।

State Election Commission, Bihar.

मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अनुशासन

- मतगणना कर्मियों को बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से नियमानुसार अपने कर्त्तव्यों का सम्पादन करना चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुमति के बिना न तो प्रवेश कर सकता है और न तो बाहर जा सकता है
- बिहार पंचायतराज अधिनियम, 2006 की धारा 130 की उप धारा (6), उपधारा (13), उपधारा (17) का ज्ञान सभी कर्मियों को दें।

मतपत्रों की गणना

State Election Commission, Bihar.

मतपत्र की गणना

- मतगणना ग्राम पंचायत/मतदान केन्द्रवार/पदवार की जाएगी।
- मतपत्र मतपेटिका तथा ई0वी0एम0 वज्रगृह से मतदान केन्द्रवार बाहर निकाली जाएगी।
- एक समय एक गणना पटल पर एक मतपेटी से ही मतगणना की जायेगी तथा इस मतदान केन्द्र से संबंधित मतपत्र लेखा तथा पेपरसील लेखा के सीलबंद पैकेट भी रखा जाएगा।
- पेपरसील तथा मुहर की प्राथमिक जाँच :– अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता, गणना अभिकर्त्ता, गणना पर्यवेक्षक/गणना सहायक।

Contd....

मतपत्र की गणना

- यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतपेटियों से सभी मतपत्र निकाल लिए गये। वह खाली है।

प्रदर्शन → गणन कर्मचारी द्वारा → गणन अभिकर्त्ता को

- मतपत्र की छटाई तथा गिनती कर मतपत्र लेखा (प्रपत्र–17)से मिलान।
- गणना पटल पर रखी गयी सभी मतपेटिकाओं में से एक के बाद एक मतपेटिका से मतपत्र निकाल कर पंच और सरपंच के अलग–अलग बंडल में छांट लिए जायेंगे। प्रत्येक बंडल में 50–50 मतपत्र होंगे। अंतिम बंडल 50 से कम हो सकता है।

Contd....

मतपत्र की गणना

- मतपत्रों के बंडलों की परीक्षात्मक जाँच कि जाएगी के इसमें अस्वीकृत मतपत्र न हो, या किसी दूसरी अभ्यर्थी को प्राप्त मतपत्र बंडल में शामिल न कर लिया गया हो।
- बंडलों की परीक्षात्मक जाँच सभी मतगणना केन्द्र के सभी गणना पटल पर की जानी चाहिए।
- संदेहात्मक मतपत्रों का अलग बंडल बनाकर निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर आपत्तियों के निस्तार हेतु ले जाया जाएगा।

मतपत्र–अस्वीकृत/प्रतिक्षेपण

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–75 (1) के (क) से (झ) तक उल्लेख :–

(क) उस पर ऐसा चिन्ह या लेख है, जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है।

(ख) वह बनावटी मतपत्र है।

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त है या विकृत किया गया है, कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

(घ) उस पर प्रभेदक चिन्ह या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

(ङ) मतपत्र चिन्हित नहीं किया गया है।

Contd....

मतपत्र–अस्वीकृत / प्रतिक्षेपण

(च) एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह लगाया गया है।

(छ) इस पर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिन्ह लगाया गया है।

(ज) मतपत्र प्रपत्र–9 में अंकित किसी अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थियों के नाम क्रम/ या किसी अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुरूप नहीं मुद्रित हो।

(झ) ऐसा कोई अन्य आधार जो आयोग द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया है।

Contd....

मतपत्र–अस्वीकृत/प्रतिक्षेपण

- मतपत्र प्रतिक्षेपित करने के लिए एक मुहर (क) से (छ) तक के कारणों को विनिर्दिष्ट करा कर तैयार की जा सकती है। अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) मतपत्र के विशिष्ट कॉलम के सामने सही (√) का चिन्ह लगाकर और नीचे हस्ताक्षर किया जा सकता है।
- मतपत्र को अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता को निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा परन्तु किसी भी हालत में इन्हें मतपत्र को हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आपत्तियुक्त/संदेहास्पद मतपत्रों के संबंध में निर्णय निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपना निर्णय लेंगे।

Contd....

मतपत्र अस्वीकृत नहीं किए जाये

- किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाये गये हैं।
- एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग में भी चिन्ह लगे हैं।
- वह चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगाकर चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है।
- मतपत्र पर हल्का सा अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो।

आपवादिक स्थिति में आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना

1. यदि किसी एक बंडल के मतपत्र में किसी भी मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है और इस प्रकार के सभी मतपत्र एक विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हो तो यह मान लिया जायेगा कि उपर्युक्त सभी मतपत्र जबरन मतपेटिका में डाले गये हैं। ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। संशय की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से आदेश प्राप्त किया जायेगा।

Contd....

आपवादिक स्थिति में आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना

2. मतपेटिका खोले जाने पर यह पाया जाता है कि मतपेटी में दो पदों में से सिर्फ एक पद के लिए ही मतपत्र उपलब्ध है तो इसे गड़बड़ी माना जायेगा, या डाले गये दोनों प्रकार के मतपत्रों की संख्या में काफी भिन्नता है।
3. मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत होना ।
4. यदि मतपत्र प्रपत्र 9 के अनुसार नहीं है।

आपवादिक स्थिति में आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना

5. मतदान केन्द्र में डाले गये मतों का प्रतिशत 95% से अधिक है तथा किसी अभ्यर्थी को कुल मतों का 90% से अधिक मत प्राप्त हुआ है एवं मतपत्रों के लगातार क्रमांक के मत प्राप्त हुई है।
6. मतदान का प्रतिशत 95% से अधिक है तथा किसी एक विशेष में मतदान का प्रतिशत अन्य पदों के मतदान प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक या असामान्य है।

नोटः उपरोक्त परिस्थितियों में यदि मतदान केन्द्रों का मतगणना परिणाम निर्वाचन परिणाम को प्रभावित करता है तब आयोग से निदेश प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाएगा।

गणना से पूर्व मतपत्रों के विनष्ट होने, हानि पहुँच जाने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही :–

- यह बात प्रकाश में आता है कि :–
  - मतदान के सिलसिले में किसी मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर भयंकर अनियमितता की गयी है।
  - मतगणना के दौरान अनाधिकृत एवं गैर कानूनी ढंग से मतपेटी/ मतपत्र को विनष्ट किया गया है।
  - आपातकालीन घटना घट जाने के कारण मतदान का परिणाम दुषित हुआ।

Contd....

गणना से पूर्व मतपत्रों के विनष्ट होने, हानि पहुँच जाने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही :–

- उक्त परिस्थिति में नियम–74 (3) के अन्तर्गत निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से सभी तथ्यों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को विस्तृत प्रतिवेदन तुरंत भेजेंगे तथ इस संबंध में आयोग के निर्देश का अनुपालन करेंगे।

ई.वी.एम. से मतगणना

मतगणना

- मतगणना पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थी एवं अभिकर्त्ता द्वारा CU के कैरिंग केस पर लगे सील की जाँच की जायेगी।
- कैरिंग केस सील के अक्षुण्ण होने की स्थिति में कैरिंग केस से CU को बाहर निकाला जाएगा तथा उस पर लगे सील की जाँच की जाएगी।
- सभी सील अक्षुण्ण होने पर कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गयी मानी जाएगी।

Contd....

मतगणना

- CU पर लगे पेपर सील का मिलान मतपत्र लेखा पर अंकित संख्या से मिलान किया जाएगा तथा अभिकर्त्ताओं को भी मिलान करने को कहा जा सकता है।
- अंकित संख्या में अन्तर होने पर निर्वाची पदाधिकारी लौटाई गयी अव्यवहृत पेपर सील की संख्या की जाँच कर समस्या का समाधान करेगा। यदि यह लिपिकीय भूल है तो इसे नजरअंदाज किया जा जाएगा।

Contd....

मतगणना

- यह समाधान होने पर कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गयी है या यह वही वोटिंग मशीन नहीं है जो मतदान केन्द्र के लिए उपयोग के लिए आपूरित की गयी थी। ऐसी स्थिति में मशीन को अलग रखा जाएगा तथा इसके अंकित मतों की गणना नहीं की जाएगी।
- आयोग को मामले का विस्तृत विवरण के साथ निर्देश प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।
- इस परिस्थिति में सम्पूर्ण मतगणना को स्थगित नहीं किया जाएगा केवल उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त CU में अंकित मतों की गणना नहीं की जाएगी।

Contd....

सत्यमेव जयते

मतों की गणना

- मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त ई0वी0एम0 के सभी सीलों की जाँच के उपरान्त कंट्रोल यूनिट में अंकित मतों की गणना की जाएगी।
- कंट्रोल युनिट के रिजल्ट खण्ड के कवर को खोलकर 'रिजल्ट' बटन को दबाने के उपरान्त प्रत्येक उम्मीदवार के लिए रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या डिस्प्लेपैनल में क्रमवार दिखाई देने लगेगी।
- गणन सहायक तथा गणन पर्यवेक्षक द्वारा अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का विवरण विहित प्रपत्र में उनके नाम के सामने अंकित किया जाएगा।
- आवश्यकता होने पर परिणाम को लिखने या प्रदर्शित करने के लिए रिजल्ट बटन को कई बार दबाया जा सकता है।
- परिणाम लिखने के पश्चात् कंट्रोल यूनिट का स्वीच ऑफ कर रिजल्ट खण्ड के कवर को बन्द कर दें तथा उसके कैरिंग बक्से में वापस रख दें।

Contd....

सत्यमेव जयते

मतों की गणना

- गणन सहायक तथा गणन पर्यवेक्षक द्वारा विहित प्रपत्र में परिणाम अंकित किए जाने के उपरान्त उक्त प्रपत्र में मतगणना के समय उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर उक्त प्रपत्र में कराया जाएगा।
- गणन पर्यवेक्षक तत्पश्चात् विहित प्रपत्र में अपना हस्ताक्षर अंकित कर निर्वाची पदाधिकारी को गणन परिणाम हस्तगत कराएगा।
- निर्वाची पदाधिकारी अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि इसे सभी दृष्टिकोण से समुचित रूप में भरा गया है और पूरा कर लिया गया है प्ररूप प्रतिहस्ताक्षरित करेगा।
- निर्वाची पदाधिकारी मतगणना पटल से प्राप्त करने के उपरान्त परिणाम पंचायतवार तथा अंतिम परिणाम पत्र प्रपत्र–20 एवं 21 में तैयार करेंगे।

मतगणना परिणाम का अभिनिश्चय तथा लेखांकन

State Election Commission, Bihar.

मत बराबर होने की दशा में प्रक्रिया

- सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकालेंगे और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलेगा उसे एक अतिरिक्त मत पाया हुआ माना जायेगा।
- निर्वाची पदाधिकारी तदनुकूल मतगणना परिणाम घोषित करेंगे।

लॉटरी की प्रक्रिया

- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को सूचना।
- लॉटरी हेतु सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग, कागज की पर्ची **A4** साईज के कागज का चौथाई हिस्सा होगा। प्रत्येक पर्ची समान साईज की होगी।
- सादी पर्ची उपस्थित सभी प्रत्याशियों को दिखला दी जायेगी।
- प्रत्येक पर्ची पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी का नाम काले रंग के स्केच पेन से लिखा जायेगा। प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से पर तिथि सहित अपना हस्ताक्षर करेंगे।
- जितने प्रत्याशियों के बीच लॉटरी निकाली जाएगी, पर्चियों की संख्या उतनी ही होगी।

Contd....

लॉटरी की प्रक्रिया

- नाम लिखने के पश्चात् सभी पर्चियाँ प्रत्याशियों को प्रदर्शित की जाएगी।
- निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड में मोडकर, वहाँ उपस्थित किसी ऐसे सरकारी कर्मी जो उक्त लॉटरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो, एक छोटे अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेगा।
- पर्ची रखने से पहली सभी प्रत्याशियों को डिब्बा खोलकर दिखला दिया जायेगा कि डिब्बा खाली है।
- पर्ची निकालने हेतु ऐसे सरकारी कर्मी का चयन किया जाएगा जो पूर्व में पूरी प्रक्रिया के समय वहाँ उपस्थित नहीं था।

Contd....

सत्यमेव जयते

लॉटरी की प्रक्रिया

- नामित व्यक्ति डिब्बे से एक पर्ची निकालकर उसे खोलेगा तथा उसमें अंकित नाम जोर से पढ़ेगा तथा पर्ची निर्वाची पदाधिकारी को दे देगा।
- निर्वाची पदाधिकारी उस पर्ची पर 'निर्वाचित' लिख कर तिथि और समय सहित पुनः उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।
- निर्वाची घोषित कर देने के पश्चात् सभी पर्चियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा एक लिफाफे में सीलबन्द कर निर्वाचन अभिलेख में रूप में सुरक्षित रखा जायेगा।

Contd....

लॉटरी की प्रक्रिया

- इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी तथा इसे अभिलिखित भी किया जाएगा।
- कार्यावधि के अन्त में इस पर निर्वाची पदाधिकारी के साथ–साथ लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति तथा उपस्थित प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
- किसी भी स्थिति में लॉटरी निकालने का काम स्थगित नहीं किया जाएगा।

पुनर्गणना

- प्रपत्र–19 उपं 20 को अच्छी तरह तैयार कर लेने तथा आंकड़ो संबंधी घोषणा कर देने के बाद एक दो मिनट के लिए कार्यवाही रोक देनी चाहिए।
- इस अवधि में पुर्नगणना हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु इंतजार करना चाहिए।
- पुनर्गणना की मांग का आधार ठोस होना चाहिए तथा इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक मामले में निर्णय में कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए।

Contd....

पुनर्गणना

- पुर्नगणना मात्र मतगणना की पुनरावृत्ति नहीं है, वरन् प्रत्येक मतपत्र की पुनः संवीक्षा करना है।
- किसी भी परिस्थिति में दोबारा पुर्नमतदान के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद पुनर्गणना का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पुनर्गणना

- वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की पुनर्गणना को प्रश्न नहीं उठता है।
- मशीन में दर्ज सभी मत विधिमान्य हैं।
- यदि कोई अभ्यर्थी/अभिकर्त्ता किसी खास मतदान केन्द्र का परिणाम उस समय नहीं लिख सका है तब परिणाम बटन दबाकर उस मतदान केन्द्र का परिणाम प्रदर्शित किया जा सकता है।

State Election Commission, Bihar.

निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर गणना

- मतगणना में अधिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन लड़नेवाले विभिन्न अभ्यर्थियों के विधिमान्य मतपत्र के बंडलों /पोल्ड कंट्रोल यूनिट की कुल संख्या का 5% बंडलों/कंट्रोल यूनिट की गणना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने मेज पर करनी चाहिए।
- बंडलों/कंट्रोल यूनिट का चयन इस प्रकार किया जाय कि इसमें निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों के बंडल/कंट्रोल यूनिट हो।
- इस प्रयोजन के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी या किसी दूसरे प्राधिकृत पदाधिकारी की सहायता ले सकता है।

मतदान का बहिष्कार

- मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किये जाने के उपरान्त भी संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया वैध रूप से सम्पन्न हुई समझी जायेगी।
- इस प्रकार के मतदान केन्द्र से संबंधित चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को 'शून्य' मत प्राप्त हुआ मान कर इनके पक्ष में '0' अंक जोड़कर जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया/सरपंच पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार की जाएगी।
- ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम पंचायत के सदस्य पद के लिए निर्वाचन नए सिरे से की जाएगी।

मतगणना परिणाम का संकलन

- मतगणना पटल पर ग्राम कचहरी के पंच तथा ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु प्रपत्र–19 में मतगणना परिणाम का संधारण ।
- प्रपत्र –19 के आधार पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ग्राम कचहरी के पंच तथा ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु प्रपत्र–21 तैयार किया जाएगा।
- मतगणना पटल पर मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच तथा जिला परिषद सदस्य पद हेतु प्रपत्र–20 भाग–1 में मतगणना परिणाम का संधारण।
- प्रपत्र–20 भाग–1 के आधार पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–20 भाग–2 में मतगणना परिणाम का संधारण।

मतगणना परिणाम का संकलन

- प्रपत्र–20 भाग–2 के आधार पर ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच हेतु प्रपत्र–21 तैयार किया जाएगा।
- जिला परिषद् सदस्य हेतु प्रपत्र–20 भाग–2 के आधार पर प्रपत्र–20 भाग–3 तैयार किया जाएगा।
- प्रपत्र–20 भाग–3 के आधार पर जिला परिषद् सदस्य हेतु प्रपत्र–21 तैयार किया जाएगा।
- प्रपत्र–21 में प्रेक्षक का हस्ताक्षर आवश्यक है, प्रेक्षक की सहमति के उपरान्त ही निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन प्रमाण पत्र (प्रपत्र–22) में निर्गत करेंगे।

निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करना

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–82 / 99 के अधीन निर्वाची पदाधिकारी मतों की गणना समाप्त हो जाने के पश्चात् इस अभ्यर्थी को, जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, निर्वाचित घोषित करेगा।

गणना पश्चात् मतपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा

- गणना पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच पद से संबंधित निम्नलिखित कागजातों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे :–

(i) प्रतिपर्ण सहित अव्यवहृत मतपत्रों के पैकेट

(ii) व्यवहृत मतपत्रों के पैकेट, विधिमान्य, निविदत्त या प्रतिक्षेपित

(iii) व्यवहृत मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट

(iv) निर्वाचक सूची के चिन्हित प्रतियों के पैकेट

मतगणना पश्चात मतपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा

- मुहर बंद ट्रंक को उसी दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के मुख्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में भंडारण हेतु भेज दिया जाता है।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त स्टील ट्रंक को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के प्रभार में सुरक्षित अभिरक्षा में दोहरे ताले के अधीन भंडारण किया जाएगा। एक ताले की चाभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा दूसरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा नाम निर्दिष्ट वरिष्ट पदाधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

Contd....

मतगणना पश्चात मतपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा

- निर्वाची पदाधिकारी अपने निजी मुहर (मेटल सील–R) से उपर्युक्त कागजातों में पैकेट को मुहरबन्द करेंगे। अभ्यर्थी/ अभिकर्त्ता भी उस पर अपना मुहर लगा सकते हैं।
- मुहर बन्द पैकेटों के पर्यवेक्षण के लिए एक उत्तरदायी प्रभारी पदाधिकारी को रखना आवश्यक होगा।
- मुहर बन्द पैकेटों को स्टील ट्रंक में रखा जाएगा जो दो तालों से बन्द किया जाएगा तथा प्रत्येक ताले को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मुहरबन्द किया जाएगा।

Contd....

ई0वी0एम0 के कंट्रोल यूनिट को फ्री करना

- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम (54) के अधीन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतगणना समाप्त हो जाने के पश्चात् कंट्रोल यूनिट को सीलबन्द नहीं किया जाएगा।
- मतगणना प्रक्रिया के दौरान ही कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों से संबंधित डाटा को मतदान केन्द्रवार प्रपत्र–19 तथा प्रपत्र–20 भाग–1 हेतु निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जाएगा।

Contd....

ई0वी0एम0 के कंट्रोल यूनिट को फ्री करना

- इस प्रकार वार्ड के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए तैयार विवरण के अंत में मतगणना केन्द्र में उपस्थित सभी अभ्यर्थी/अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाँच लिफाफे में रखकर सीक्रेट सील से सीलबन्द किया जाएगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की पंचायत में रखा जाएगा।
- उक्त लिफाफे को किसी न्यायालय के आदेश से ही खोला जा सकेगा।
- लिफाफे में किसी तरह की टेम्परिंग या छेड़छाड़ किए जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर स्थापित किया जाएगा।

THANKS